संख्या–329 / XXIV(1) / 2008–31 / 2007

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक): देहरादूनः दिनांकः 26 मार्च, 2008

विषयः– स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–49563 / बेसिक / एस0सी0पी0 / 2007–08, दिनांक 28.11.2007 एवं आपके पत्र संख्या–2846 / के0जी0बी0वी0 / 2007–08, दिनांक 13.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुल निम्नलिखित 03 स्थानों पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिये उपलब्ध कराये गये आंगणन रू0 298.05 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुति औचित्य पूर्ण धनराशि रू0 268.07 लाख (रूपये दो करोड़ अरसठ लाख सात हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष भारत सरकार से पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 50.00 लाख के समायोजनोपरान्त अवशेष रू0 218.07 लाख व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	विद्यालय / जनपद का नाम	संस्तुति लागत	भारत सरकार द्वारा पूर्व अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में दी जा रही स्वीकृति
1.	क0गां0बा0आवासीय विद्यालय, चगेटी, धौलादेवी (अल्मोड़ा)	87.06 लाख	15.00 लाख	72.06 लाख
2.	——,,—— टनकपुर (चम्पावत)।	56.80 लाख	15.00 लाख	41.80 लाख
3.	——,,—— हरजोलीजट (हरिद्वार)।	124.21 लाख	20.00 लाख	104.21 लाख
योगः–		268.07 लाख	50.00 लाख	218.07 लाख

1. आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

5. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

6. कार्य को समयवद्ध ढंग से संस्तुति लागत की सीमा में ही शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तथा अतिरिक्त धनराशि का वहन कार्यदायी संस्था द्वारा करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा और कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–210 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01–सामान्य शिक्षा –201–प्रारम्भिक शिक्षा –02–स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –0201–प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–783(P)/वित्त अनुभाग–3/2008, दिनांक 25.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, मयूर विहार, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/हरिद्वार/चम्पावत उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
अपर सचिव।